

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2015/डी-569

दिनांक- 12/3/2015

-:कार्यवाही विवरण:-

विषय :- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 171वीं बैठक दिनांक 12.03.2015 को प्रातः 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1.	171.1	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 170वीं बैठक दिनांक 13.02.2015 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 170वीं बैठक दिनांक 13.02.2015 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।
2	171.2	श्री विजय खेमका पार्टनर डी.के.जी. टाउनशिप एण्ड डेवलपर्स के खसरा नं 166/402, 167, ग्राम झालाणा चौड व खसरा नं. 120, 127, ग्राम दुर्गापुरा, टोक रोड, जयपुर में प्रस्तावित EWS फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समझ विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत मूल भूखण्ड में ही EWS/LIG फ्लैट्स प्रस्तावित किये गये थे, जिनका दिनांक 10.07.2014 को अनुमोदित कर जारी किये। दिनांक 06.01.2015 की मौका रिपोर्ट अनुसार EWS/LIG फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। प्रार्थी को दिनांक 27.02.2015 को नोटिस दिया गया जिसका प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.03.2015 को जवाब दिया गया कि मौके पर खुदाई का कार्य किया जा रहा है। अतः विचार-विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिया गया :- “टाउनशिप पॉलिसी के आदेश दिनांक 02.05.2012 के बिन्दु सं. 1.6 की अनुपालना में 6 माह में भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण भवन मानचित्र निरस्त करते हुए भवन अनुमोदन शुल्क व BSUP Shelter Fund को जब्त करने का निर्णय लिया गया।”
3	171.3	श्री मुरारीलाल अग्रवाल पार्टनर राधेकृष्ण बिल्डर्स भूखण्ड सं. जी.एच.-1, मां हिंगलाज नगर, विस्तार, ग्राम धावास एवं कनकपुरा, जयपुर में प्रस्तावित EWS/LIG फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समझ विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत मूल भूखण्ड में ही EWS/LIG फ्लैट्स प्रस्तावित किये गये थे, जिनका दिनांक 07.08.2014 को अनुमोदित कर जारी किये। दिनांक 06.01.2015 की मौका रिपोर्ट अनुसार EWS/LIG फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। प्रार्थी को दिनांक 27.02.2015 को नोटिस दिया गया जिसका प्रार्थी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अर्थात् 6 माह पश्चात् भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः विचार-विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिया गया :- “टाउनशिप पॉलिसी के आदेश दिनांक 02.05.2012 के बिन्दु सं. 1.6 की अनुपालना में 6 माह में भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण भवन मानचित्र निरस्त करते हुए भवन अनुमोदन शुल्क व BSUP Shelter Fund को जब्त करने का निर्णय लिया गया।”
4	171.4	श्री नवीन मण्डा मुख्तयारआम मैसर्स रान लाइफ बिल्डकॉन प्रा. लि. के मूल भूखण्ड-खसरा नं 589/3, 594/1, 595 ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर, अजमेर रोड, जयपुर में प्रस्तावित EWS फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समझ विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत मूल भूखण्ड में ही EWS/LIG फ्लैट्स प्रस्तावित किये गये थे, जिनका दिनांक 24.09.2014 को अनुमोदित कर जारी किये। दिनांक 06.01.2015 की मौका रिपोर्ट अनुसार EWS/LIG फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। प्रार्थी को दिनांक 27.02.2015 को नोटिस जारी किया गया था। जिसके जवाब में प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.03.2015 को निवेदन किया गया कि उनके भूखण्ड की 90-वीं दिनांक 25.12.2009 से पूर्ण हो चुकी है एवं उन्हें EWS/LIG रखने की आवश्यकता नहीं है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् इस संबंध में निर्णय लिया गया कि

SAIF-2895
2013

			पत्रावली में इस संबंध में जांच की जाये कि प्रार्थी का कथन पत्रावली के अभिलेख अनुसार सत्य है या नहीं? अर्थात् EWS/LIG फ्लैट्स रखने की आवश्यकता है या नहीं। जांच कर आगामी बैठक में प्रकरण को पुनः प्रस्तुत किया जावे।
5	171.5	श्री ठाकुर इन्द्र विजय सिंह के खसरा नं. 92/1. ग्राम बीड, खातोपुरा, मुख्य क्वीन्स रोड, वैशाली नगर, जयपुर में प्रस्तावित EWS फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत भूखण्ड पर ही EWS/LIG फ्लैट्स दिनांक 24.09.2014 को अनुमोदित कर जारी किये गये थे। दिनांक 06.01.2015 की मौका रिपोर्ट अनुसार EWS/LIG फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। प्रार्थी को दिनांक 27.02.2015 को नोटिस दिया गया जिसका प्रार्थी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। प्रकरण में दिनांक 24.03.2015 को 6 माह हो रहे हैं। अतः विचार-विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :- 1) टाउनशिप पॉलिसी के आदेश दिनांक 02.05.2012 के बिन्दु सं. 1.6 की अनुपालना में 100 रुपये वर्गफीट (EWS/LIG क्षेत्रफल) पर शास्ती ली जावे व पत्र में शास्ती जमा कराने हेतु 7 दिवस का समय दिया जावे। यदि 7 दिवस में शास्ती जमा नहीं कराया तो मानचित्र निरस्त कर दिये जावेंगे। 2) प्रार्थी को लिखे जाने वाले पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे कि यदि दिनांक 24.03.2015 तक EWS/LIG का कार्य प्रारम्भ कर सूचित नहीं किया तो अनुमोदन शुल्क व BSUP Shelter Fund को जब्त करने करते हुए मानचित्र निरस्त कर दिये जावेंगे।
6	171.6	श्रीमती मधु चौरडिया पत्नी श्री विनय चौरडिया के खसरा नं. 160, 161, 218, 219, 253/911 व 255, ग्राम केशोपुरा, अजमेर रोड, जयपुर में प्रस्तावित EWS/LIG फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत भूखण्ड पर ही EWS/LIG फ्लैट्स दिनांक 13.09.2015 को अनुमोदित कर जारी किये गये थे। दिनांक 08.01.2015 की मौका रिपोर्ट की गई जिसके अनुसार मौके पर EWS/LIG ब्लॉक का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है अर्थात् 6 माह पश्चात् भी EWS/LIG फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। प्रार्थी को दिनांक 27.02.2015 को नोटिस दिया गया जिसका प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.03.2015 को जवाब दिया गया कि मौके पर खुदाई का कार्य किया जा रहा है। अतः विचार-विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिया गया :- "टाउनशिप पॉलिसी के आदेश दिनांक 02.05.2012 के बिन्दु सं. 1.6 की अनुपालना में 6 माह में भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण भवन मानचित्र निरस्त करते हुए भवन अनुमोदन शुल्क व BSUP Shelter Fund को जब्त करने का निर्णय लिया गया।"
7	171.7	श्री विनोद गोयल निदेशक मंगलम विल्ड डवलपर्स लिमिटेड के खसरा संख्या 187, 187/78, 188, 188/790, 189 से 191, 191/791, 192 से 206, 209 से 219, 221 से 224, 379 से 383, ग्राम-हाज्यावाला, तहसील-सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित EWS/LIG फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत भूखण्ड के भवन मानचित्रों का 2 फेज में अनुमोदन किया गया था एवं EWS/LIG फ्लैट्स मूल भूखण्ड पर ही प्रस्तावित किये गये थे। फेज 1 के मानचित्र दिनांक 21.02.2013 को एवं फेज 2 के मानचित्र दिनांक 07.01.2015 को अनुमोदित कर जारी किये गये थे। दिनांक 06.01.2015 की मौका रिपोर्ट अनुसार EWS/LIG फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। प्रार्थी को दिनांक 10.03.2015 को नोटिस दिया गया जिसका प्रार्थी द्वारा जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। अतः विचार-विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिया गया :- "टाउनशिप पॉलिसी के आदेश दिनांक 02.05.2012 के बिन्दु सं. 1.6 की अनुपालना में फेज 1 के EWS/LIG फ्लैट्स का 6 माह में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण फेज 1 व फेज 2 के भवन मानचित्र निरस्त करते हुए भवन अनुमोदन शुल्क व BSUP Shelter Fund को जब्त करने का निर्णय लिया गया।"
8	171.8	खसरा नं. 703/2, 705/1, 705/2	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

KRM

		706, ग्राम श्रीकिशनपुर, तहसील सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित EWS/LIG प्लेट्स के संबंध में।	प्रश्नगत भूखण्ड पर ही EWS/LIG प्लेट्स दिनांक 14.10.2014 को अनुमोदित कर जारी किये गये थे। दिनांक 06.01.2015 की मौका रिपोर्ट अनुसार EWS/LIG प्लेट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। प्रार्थी को दिनांक 27.02.2015 को नोटिस दिया गया जिसका प्रार्थी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। प्रकरण में दिनांक 14.04.2015 को 6 माह हो रहे हैं। अतः विचार-विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :- 1) टाउनशिप पॉलिसी के आदेश दिनांक 02.05.2012 के विन्दु सं. 1.6 की अनुपालना में 50 रुपये वर्गफीट (EWS/LIG क्षेत्रफल) पर शास्ती ली जावे एवं जमा कराने हेतु 7 दिवस का समय दिया जावे। यदि 7 दिवस में शास्ती जमा नहीं करायी तो मानचित्र निरस्त कर दिये जावेगे। 2) प्रार्थी को लिखे जाने वाले पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे कि यदि दिनांक 14.04.2015 तक EWS/LIG का कार्य प्रारम्भ कर सूचित नहीं किया तो अनुमोदन शुल्क व BSUP Shelter Fund को जम्मा करने करते हुए मानचित्र निरस्त कर दिये जावेगे।
9	171.9	श्री कातिचन्द शर्मा के खसरा नं 884/1, 885/1, 894 व 895, ग्राम श्रीकिशनपुर, तहसील सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित EWS/LIG प्लेट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत भूखण्ड पर ही EWS/LIG प्लेट्स दिनांक 05.06.2014 को अनुमोदित कर जारी किये गये थे। दिनांक 06.01.2015 की मौका रिपोर्ट अनुसार 6 माह पश्चात् भी EWS/LIG प्लेट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। प्रार्थी को दिनांक 27.02.2015 को नोटिस दिया गया जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः विचार-विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिया गया :- "टाउनशिप पॉलिसी के आदेश दिनांक 02.05.2012 के विन्दु सं. 1.6 की अनुपालना में 6 माह में भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण भवन मानचित्र निरस्त करते हुए भवन अनुमोदन शुल्क व BSUP Shelter Fund को जम्मा करने का निर्णय लिया गया।"
10	171.10	श्री कपिल राय सिधानी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता महिमा रियल एस्टेट प्रा. लि. खसरा नम्बर 4760/3345, 4777/3346, 4776/3345 एवं 4775/3345, ग्रुप हाउसिंग, ग्राम-खो नागोरियान, तहसील-सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित EWS/LIG प्लेट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत भूखण्ड पर ही EWS/LIG प्लेट्स दिनांक 05.01.11.2014 को अनुमोदित कर जारी किये गये थे। इसके एवज में EWS/LIG प्लेट्स अन्य भूखण्ड अर्थात् खसरा नं. 63/1, ग्राम मानपुर गेट, तहसील फागी, जयपुर में प्रस्तावित किये गये थे, जिनके दिनांक 05.01.11.2014 को मानचित्र अनुमोदन कर जारी कर दिये गये थे। दिनांक 06.01.2015 की रिपोर्ट अनुसार EWS/LIG प्लेट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.01.2015 को पत्र प्रस्तुत कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की जानकारी दी गई। प्रार्थी को दिनांक 04.03.2015 को 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस दिया गया। दिनांक 10.03.2015 को पुनः मौका निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार मौके पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। प्रकरण में दिनांक 05.05.2015 को 6 माह हो रहे हैं। अतः विचार-विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :- 1) टाउनशिप पॉलिसी के आदेश दिनांक 02.05.2012 के विन्दु सं. 1.6 की अनुपालना में 25 रुपये वर्गफीट (EWS/LIG क्षेत्रफल) पर शास्ती ली जावे व पत्र में शास्ती जमा कराने हेतु 7 दिवस का समय दिया जावे। यदि 7 दिवस में शास्ती जमा नहीं करायी तो मानचित्र निरस्त कर दिये जावेगे। 2) प्रार्थी लिखे जाने वाले पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे कि यदि दिनांक 05.05.2015 तक EWS/LIG का कार्य प्रारम्भ कर सूचित नहीं किया तो अनुमोदन शुल्क व BSUP Shelter Fund को जम्मा करने करते हुए मानचित्र निरस्त कर



			दिये जायेंगे।
11	171.11	श्री आशीष अग्रवाल, निदेशक फॉर श्रीराम कृपा बिल्डहोम प्रा. लि. के खसरा नं. 123, 124, 133/669, ग्राम नृसिंहपुरा उर्फ रिक्शा, तहसील सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित EWS/LIG फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत भूखण्ड के भवन मानचित्र दिनांक 19.03.2014 को अनुमोदित कर जारी किये गये थे। इसके एवज में EWS/LIG फ्लैट्स अन्य भूखण्ड अर्थात् भूखण्ड सं. 82, भास्कर एनक्लेव, एफ-1, ग्राम काठावाला, तहसील चाकसू, जयपुर में प्रस्तावित किये गये थे, जिनके दिनांक 31.01.2014 को मानचित्र अनुमोदन कर जारी कर दिये गये थे। दिनांक 06.01.2015 व 10.03.2015 की रिपोर्ट अनुसार EWS/LIG फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। प्रार्थी को दिनांक 04.03.2015 को नोटिस दिया गया। जिसका प्रार्थी द्वारा जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। अतः विचार-विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिया गया :- "टाउनशिप पॉलिसी के आदेश दिनांक 02.05.2012 के विन्दु सं. 1.6 की अनुपालना में EWS/LIG फ्लैट्स का 6 माह में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण भवन मानचित्र निरस्त करते हुए भवन अनुमोदन शुल्क व BSUP Shelter Fund को जप्त करने का निर्णय लिया गया।"
12	171.12	श्री सत्यनारायण गुप्ता निदेशक एस.एन. जी. रियल एस्टेट प्रा. लि. के खसरा नं. 695, 696, 702, 703, 704, 705, ग्राम भाटेड वाटिका, तहसील सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित EWS/LIG फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत भूखण्ड पर ही EWS/LIG फ्लैट्स दिनांक 06.06.2014 को अनुमोदित कर जारी किये गये थे। दिनांक 06.01.2015 की मौका रिपोर्ट अनुसार 6 माह पश्चात् भी EWS/LIG फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। प्रार्थी को दिनांक 27.02.2015 को नोटिस दिया गया जिसका प्रार्थी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः विचार-विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिया गया :- "टाउनशिप पॉलिसी के आदेश दिनांक 02.05.2012 के विन्दु सं. 1.6 की अनुपालना में 6 माह में भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण भवन मानचित्र निरस्त करते हुए भवन अनुमोदन शुल्क व BSUP Shelter Fund को जप्त करने का निर्णय लिया गया।"
13	171.13	श्री राकेश गोयल निदेशक अरिहन्त शिवांक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लि. के भूखण्ड सं. 17, हनुमान वाटिका (ए-7), ग्राम सालिगरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित EWS फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत भूखण्ड पर ही EWS/LIG फ्लैट्स दिनांक 04.07.2014 को अनुमोदित कर जारी किये गये थे। दिनांक 06.01.2015 की मौका रिपोर्ट अनुसार 6 माह पश्चात् भी EWS/LIG फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। प्रार्थी को दिनांक 27.02.2015 को नोटिस दिया गया। जिसका प्रार्थी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः विचार-विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिया गया :- "टाउनशिप पॉलिसी के आदेश दिनांक 02.05.2012 के विन्दु सं. 1.6 की अनुपालना में 6 माह में भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण भवन मानचित्र निरस्त करते हुए भवन अनुमोदन शुल्क व BSUP Shelter Fund को जप्त करने का निर्णय लिया गया।"
14	171.14	श्री अंकित गुप्ता निदेशक मैरार्स वर्गो बिल्ड एस्टेट प्रा. लि. के साउथ एक्स योजना, ग्राम-मथुरावाला व अजयराजपुरा, टॉक रोड, जयपुर में प्रस्तावित EWS/LIG फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत भूखण्ड के भवन मानचित्र दिनांक 13.03.2014 को अनुमोदित कर जारी किये गये थे एवं पुनः अनुमोदन दिनांक 13.02.2015 को हुआ। जिसके भवन मानचित्र अभी तक जारी नहीं किये गये हैं। इसके एवज में पूर्व अनुमोदित मानचित्र 13.03.2014 में EWS/LIG फ्लैट्स 2 अन्य भूखण्ड अर्थात् भूखण्ड सं. 81, भास्कर एनक्लेव, एफ-1, ग्राम काठावाला, तहसील चाकसू, जयपुर व 82, भास्कर एनक्लेव, एफ-1, ग्राम काठावाला, तहसील चाकसू, जयपुर में प्रस्तावित किये गये थे, जिनके क्रमशः दिनांक 30.12.2013 व 31.01.2014 को मानचित्र अनुमोदन कर जारी कर दिये गये थे। दिनांक 06.01.2015 की रिपोर्ट अनुसार EWS/LIG फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। प्रार्थी को दिनांक 04.03.2015 को



			<p>नोटिस दिया गया। जिसका प्रार्थी द्वारा जवाब नहीं दिया गया है। अतः विचार-विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :-</p> <p>"टाउनशिप पॉलिसी के आदेश दिनांक 02.05.2012 के विन्दु सं. 1.8 की अनुपालना में EWS/LIG फ्लैट्स का 6 माह में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण भवन मानचित्र निरस्त करने हुए भवन अनुमोदन शुल्क व BSUP Shelter Fund को जमा करने का निर्णय लिया गया।"</p>
15	171.15	<p>श्री पारस कुमार जैन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सिद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के खसरा नं. 73, 74, 79, 30, 81, 86, 74/1004, 76/1006, 77/1007, 80/1008, 800-805, 808 से 815 ग्राम बगरखुर्द एवं ठिकरिया तहसील सांगानेर, अजमेर रोड, जयपुर में प्रस्तावित EWS फ्लैट्स के संबंध में।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी को दिनांक 27.02.2015 को नोटिस जारी किया गया था। जिसके जवाब में प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.03.2015 को निवेदन किया गया कि उनके भूखण्ड की 90-वीं दिनांक 25.12.2009 से पूर्व हो चुकी है एवं वांछित तिथि 31.01.2015 से पूर्व दिनांक 30.01.2015 को उपायुक्त जोन को सूचना प्रेषित कर दी थी कि उन्हें EWS/LIG फ्लैट्स रखने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख अनुसार परीक्षण किये जावे कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य सही है या नहीं अर्थात् EWS/LIG फ्लैट्स रखने का आवश्यकता है या नहीं तत्पश्चात् जांच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।</p>
16	171.16	<p>श्री हनुमान प्रसाद तिवाड़ी, निदेशक राजस्थान पत्रिका प्रा. लि. के भूखण्ड संख्या 6-ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर के प्रस्तावित संस्थागत भवन के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरस्टेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. संशोधित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में पूर्व में जारी मानचित्रों अनुसार 1.417 एफ.ए.आर. अनुज्ञेय किया गया था। वर्तमान में आवेदक द्वारा संशोधित मानचित्रों में 1.99 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया गया है। अतः पूर्व में अनुज्ञेय एफ.ए.आर. 1.417 को मानक एफ.ए.आर. मानते हुए इससे अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेंट लेवी ली जावे। 4. प्रचलित भवन विनियम 2010 संशोधित दिनांक 07.12.2012 के विन्दु संख्या 10.1.15 अनुसार "सभी संस्थानिक परिसरों में भूखण्ड के अग्रभाग में 6 मीटर पीछे हटकर बाउण्ड्री बनाई जाये, ताकि मुख्य सड़क पर यातायात बाधित नहीं हो।" चूंकि वर्तमान में उक्त भूखण्ड के दो तरफ 18 मीटर चौड़ी सड़क मौके पर विद्यमान है। अतः अग्र की ओर 6.0 मीटर पीछे हटकर बाउण्ड्रीवाल बनवाई जावे तथा इसी प्रकार दर्शाते हुए मानचित्र जारी किये जावे। 5. भवन विनियम 2010 के विनियम 9.11.4 के विशेष भवन में पोर्च का क्षेत्रफल यदि आवश्यक हो तो 40 मीटर से अधिक व ऊँचाई 7 मीटर तक अनुज्ञेय हो सकती है, जिसकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति से लेना आवश्यक है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों में 11.45 मीटर X 10.63 मीटर (121.71 वर्गमीटर) का पोर्च प्रस्तावित किया गया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 6. श्रमिक उपकर नियमानुसार लेय होगा। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क</p>

(Handwritten Signature)

			जन्म होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
17	171.17	श्री ओम प्रकाश डगगाए, निदेशक फॉर ओम प्रकाश स्टॉक ब्रोकर्स प्रा. लि. के भूखण्ड संख्या 1ए, जवाहर सर्किल से जगतपुरा रोड, जयपुर के प्रस्तावित वाणिज्यिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में प्रश्नगत भूखण्ड में मैरिज गार्डन एंड बैक्वेट हॉल संचालित है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मौके पर संचालित बिना अनुमति के बनाये हुये मैरिज गार्डन एवं बैक्वेट हॉल को हटाये जाने व उसके पश्चात् ही भवन मानचित्रो पर निर्णय लिया जाना उचित होगा।
18	171.18	श्रीमती शांति देवी शर्मा के खसरा नम्बर 37/147, 37/148 व 37/151, ग्राम मानपुरा देवरी, तहसील सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित आवासीय प्लैट्स के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.1 (89) नविवि/जयपुर/2014 दिनांक 30.05.2014 की अनुपालना में स्वतंत्र आवासीय उपयोग के मानचित्र निम्नांकित मानदण्डों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया :- 1. तकनीकी मानदण्ड (i) सैटबैक्स अग्र - 12 मी, साईड 1- 6 मी, साईड 2- 6 मी, पीछे-6 मी. (ii) अधिकतम आच्छान - सैटबैक के अन्दर (iii) भवन की अधिकतम ऊंचाई-12 मी. (स्टिक्ट सहित 15 मी.) (iv) एफ.ए.आर. - 1.2 2. आवासीय इकाई- 12 (तालिका 1 में प्रावधान के अनुसार बीपीसी की बैठक दिनांक 17.06.2014 में लिये गये निर्णय के क्रम में।) 3. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.1 (89)नविवि/जयपुर/2014 दिनांक 27.02.2015 की अनुपालना में पार्किंग हेतु अमानत राशि नहीं ली जाये। 4. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे। अनुमोदित मानचित्रों एवं अनुज्ञा पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे कि इस भूखण्ड पर आवासीय इकाईयो का अनुमोदन किया गया है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार को उनके पत्रों के संदर्भ में तकनीकी मानदण्ड व अन्य निर्णय अंकित कर अनुपालना प्रेषित की जावे।
19	171.19	श्री दिनेश कुमार चौधरी के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 21, 22, 23, 37 एवं 38, योजना स्कीम नं. 16बी, करोली बाग, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर के प्रस्तावित होटल के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राथी के भवन मानचित्र बीपीसी की बैठक दिनांक 25 व 26.09.2013 में अनुमोदित कर दिनांक 14.11.2013 को राशि 1,43,73,711/- रुपये का मांगपत्र जारी कर दिया गया था। आवेदक द्वारा उक्त मांग पत्र के अनुसरण में कुल राशि 20,34,298/- रुपये अलग-अलग दिनाकों को जमा करायी। किन्तु आज दिनांक तक अतिरिक्त बेटरमेन्ट की सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई गई। भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 153वीं बैठक दिनांक 28.02.2014 में लिये गये नीतिगत निर्णय की अनुपालना में 30.04.2014 तक राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में अनुमोदित मानचित्र निरस्त कर दिये जाने का निर्णय लिया गया था। चूँकि प्रकरण में प्राथी द्वारा आज दिनांक तक मांगपत्र अनुसार सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करायी गई है। अतः यह प्रकरण निरस्तीकरण हेतु उपयुक्त है। दिनांक 21.11.2014 को मौका निरीक्षण किया गया। मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है:- 1. मौके पर लोअर बेटरमेन्ट में स्वीकृत मानचित्र से निम्न लगभग 2.0 मीटर अधिक खुदाई कर एक अतिरिक्त छत डाली हुई है। 2. मौके पर निर्माणाधीन भवन के संदर्भक स्वीकृत मानचित्रानुसार ही है, परन्तु अग्र गेटबैक में 1.2 मीटर प्रोजेक्शन के स्थान पर 1.5 मीटर कवच प्रोजेक्शन का निर्माण कर लिया गया है। इसी तरह



			<p>एक तरफ स्वीकृत 0.1 मीटर सेटबैक पर 1.2 मीटर कवर्ड प्रोजेक्शन के स्थान पर 1.9 मीटर कवर्ड प्रोजेक्शन का निर्माण किया गया है।</p> <p>3. मौके पर लोअर बेसमेन्ट + अपर बेसमेन्ट + भूतल + सर्विस तल + 10 तल तक छतें डाली जा चुकी है एवं ब्रीक वर्क का कार्य चालू है।</p> <p>4. मौके पर टैरेस फ्लोर पर 2.0 मीटर ऊँचाई में कॉलम्स के उपर प्रोजेक्शन का निर्माण किया हुआ है।</p> <p>आवेदक द्वारा दिनांक 10.02.2015 को मौका स्थिति अनुसार संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये गये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण में निर्देश दिये हैं कि प्रार्थी के अनुमोदित मानचित्र में रिवीजन/मॉडिफिकेशन पर एक माह में निर्णय करें। चूंकि प्रार्थी के मानचित्र अनुमोदित होकर जारी ही नहीं है। अतः जब मूल मानचित्र ही जारी नहीं तो रिवीजन/मॉडिफिकेशन का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः इस संबंध में कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मा. उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में शहर में हो रहे अनाधिकृत निर्माण बाबत चिन्ता जाहिर की है साथ ही प्रभावी कदम उठाने के निर्देश प्रदान किये हैं।</p> <p>प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण 10 मंजिल बिना मानचित्र जारी हुये बना ली है, इस पर समिति द्वारा चिन्ता जाहिर की गई एवं यह समिति का मत था कि इस तरह की गतिविधि पर रोक लगनी चाहिए। चूंकि वर्तमान में लागू नियमितकरण नियम 1989 के तहत नियमित नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें व्यावसायिक भूखण्डों के नियमितकरण का प्रावधान नहीं है तथा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.12.2014 को अधिसूचित नियमितकरण नियम भी अभी लागू नहीं है तथा इस अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि नियमितकरण उन्हीं प्रकरणों में किया जाये जिनमें मानचित्र अनुमोदित होकर जारी हुये हैं।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <p>“चूंकि आवेदक द्वारा आज दिनांक तक अतिरिक्त बेटरमेन्ट लेवी की सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई गई है तथा भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 153वीं बैठक दिनांक 28.02.2014 में लिये गये नीतिगत निर्णय की अनुपालना में 30.04.2014 तक सम्पूर्ण राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण बी.पी.सी. (बीपी) की 147वीं बैठक दिनांक 25-26.09.2014 के निर्णयों को अपारत करते हुए मौके पर किये गये सम्पूर्ण गैर अनुमोदित निर्माण को ध्वस्त किया जावे। साथ ही मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन को निर्देश दिये जाये कि विधि सम्मत/नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अमल में लाया जावे।”</p>
20	171.20	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, योजना 4-सी, जमनापुरी, मुरलीपुरा, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में सडक के मध्य में एच.टी. लाईन स्थित है, परन्तु यह सेक्टर प्लान JVVNL के जारी आदेश से पूर्व सन् 2003 में स्वीकृत हो चुका था, जिससे सडक के मध्य में ग्रीन बेल्ट नहीं दर्शायी गई है, ना की मौके पर कोई ग्रीन बेल्ट है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सडक को 80 फीट मानते हुए प्रार्थी के प्रस्ताव अनुसार 2 मंजिल और अनुमोदित की गई। 2. वर्तमान में समर्पित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है, जिसे हटाने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जावे। 3. श्रमिक उपकर नियमानुसार अब अनुमोदित की जा रही 2 मंजिल बाबत लिया जावे।



			<p>4. शेष निर्णय दीपरी की 130वीं बैठक दिनांक 05.02.2013 अनुसार यथावत रहेंगे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
21	171.21	<p>श्री अमित कोट्या, पार्टनर रिद्धि सिद्धि प्राईम बिल्डर्स के भूखण्ड संख्या जी.एच.-62, करणी कृपा विलास, ग्राम कनकपुरा, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33 अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 2.720 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेटी ली जावे। 4. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावे। 5. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
22	171.22	<p>श्री प्रशान्त गुप्ता निदेशक मैसर्स अभिनन्दन लैंड डवलपर्स प्रा. लि. के खसरा नम्बर 240, 241, 246, ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित समूह आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट/खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. भवन विनियम-2010 (संशोधित-2012) व नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.05.2012 के अनुसार प्रस्तावित एफ.ए.आर. क्षेत्र के 5 प्रतिशत के बराबर निर्मित क्षेत्र 536.33 व.मी. EWS/LIG हेतु आरक्षित रखा जाना अपेक्षित है। प्रस्तावानुसार खसरा नम्बर 1407, 1408, 1413, 1414 पार्ट-बी, ग्राम मूहाना, तहसील-सांगानेर, जयपुर में 21 LIG व 31 EWS फ्लैट्स कुल 1628.40 व.मी. (15.18 प्रतिशत) निर्मित क्षेत्र का विक्रय इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है। जो अपेक्षित के सिगुने से अधिक है, जिसे स्वीकार किया गया। 4. मौके पर लेबर हेतु टीन शेड बने हुए है, जिन्हे हटायें जाने के संबंध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावे। 5. प्रस्तावित सेक्टर रोड 48 मीटर मौके पर निर्मित नहीं है। भूखण्ड के सामने उक्त सड़क के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। मौके पर संलग्न स्कैच व फोटोग्राफ के अनुसार अन्य सेक्टर विट्टमीन रोड 30 मीटर चौड़ी प्रश्नगत भूखण्ड से 33.30 मीटर दूरी पर स्थित है, जिसे डब्ल्यू.वी.एम. से प्रश्नगत भूखण्ड के गेट तक जोड़ा गया है। अतः भवन की प्रस्तावित ऊँचाई आवेदक के प्रस्ताव अनुसार 35.54 मी. अनुज्ञेय की गई।

(Handwritten Signature)

			<p>6. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावे।</p> <p>7. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावे।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
23	171.23	<p>खसरा नम्बर 854, 855, 864, 865, 866, 868, 869, 870, 871, 872, 875, 856/1, 867/1, 873/1, ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के उपविभाजित भूखण्ड के निर्मित ग्रुप हाउसिंग (आशादीप ग्रीन आर्बिड) के संशोधित पार्किंग प्लान के मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। चूंकि प्रकरण में पूर्व में ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है एवं बीपीसी (बीपी) की बैठक दिनांक 13.02.2015 में केवल पार्किंग प्लान अनुमोदित हुआ है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्रमिक उपकर नहीं लिया जावे। 2. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मी. छोड़कर नहीं बनवाई जावे। 3. शेष निर्णय बीपीसी (बीपी) की पूर्व बैठक दिनांक 13.02.2015 अनुसार यथावत रहेंगे।
24	171.24	<p>श्री धीरेन्द्र मदान निदेशक महिमा रियल एस्टेट प्रा. लि. के खसरा नम्बर 881, 882, 896, 929, 930, 931, 1886/880, 1887/928, 1888/932, ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत भूखण्ड पर ही EWS/LIG फ्लैट्स दिनांक 21.10.2011 को अनुमोदित कर दिनांक 24.01.2012 को जारी किये गये थे, परन्तु प्रार्थी द्वारा नियमानुसार 6 माह में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। अतः विचार-विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिया गया :-</p> <p>"टाउनशिप पॉलिसी के आदेश दिनांक 02.05.2012 के बिन्दु सं. 1.6 की अनुपालना में 6 माह में भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण भवन मानचित्र निरस्त करते हुए भवन अनुमोदन शुल्क व BSUP Shelter Fund को जब्त करने का निर्णय लिया गया।"</p>
25	171.25	<p>श्री श्रवण कुमार शर्मा, निदेशक श्री गार्गी बिल्डकॉन प्रा. लि. के खसरा नम्बर 537, 541/2, ग्राम जयसिंहपुरा, भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में EWS/LIG एलैट्स के तथ्यों सहित आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।</p>
26	171.26	<p>श्री सुनील कुमार मित्तल अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता फॉर हीन्ड्रोन डिजाईन्स लि. के खसरा नम्बर 128 पार्ट, 128, ग्राम सिरसी, सिरसी रोड, तहसील जयपुर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय कॉम्प्लेक्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उद्धार विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1:2 अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 2.737 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.2 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावे। 6. उपायुक्त जोन से स्वामित्व एवं लेखा रिपोर्ट प्राप्त की जावे। 7. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावे। 8. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
27	171.27	<p>श्री बुद्धिराम चरणिया, मैसर्स श्री गार्गी बिल्डकॉन प्रा. लि. के भूखण्ड संख्या 16,</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का पुनः परीक्षण कर समस्त तथ्यों सहित आगामी बैठक में</p>

		हनुमान वाटिका ए-7, ग्राम-सालिनरामपुरा, तहसील-रांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	रखने का निर्णय लिया गया।
28	171.28	श्री गोपाल शर्मा, प्रधान संपादक महानगर टाइम्स के भूखण्ड सं. 2, सडकार मार्ग के मापदण्डों में परिवर्तन के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुमोदन क्रमांक एफ.10 (7)नविनि/3/2009 पार्ट- 1 दिनांक 14.03.2011 द्वारा निम्नानुसार मानदण्ड अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया- क्रम सं. अनुमोदित मानदण्ड 1 ऊँचाई -15 मी. अधिकतम 2. सेटबैक्स - अग्र- 7.5 मी., शेष तीनों ओर - 3.0 मी.
29	171.29	भूखण्ड सं. 1, हाउसिंग स्कीम मनोहरपुरा, सिद्धार्थ नगर एच ब्लॉक, के पास, जयपुर में प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:- 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्राथी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 40 मीटर से अधिक है। अतः संशोधित भवन विनियम-2012 के अनुसार राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावे। 4. भूखण्ड जविप्रा की नीलामी द्वारा क्रय किया गया है। नीलामी की शर्तों के अनुसार भूखण्ड पर बेटरमेन्ट लेवी लागू नहीं होगी। अतः प्रकरण में एफ.ए.आर. बेटरमेन्ट लेवी की गणना नहीं की गई है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 5. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावे। 6. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
30	171.30	श्री सत्यनारायण गुप्ता निदेशक मैसर्स स्टार वैली रियल एस्टेट प्रा. लि. के खसरा नं. 400 व 401, ग्राम सिरसी, सिरसी रोड, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। EWS/LIG फ्लैट्स के स्पष्ट प्रस्ताव के साथ आगामी बैठक में रखा जावे।
आयुक्त महोदय की आज्ञा से निर्मांकित अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।			
31	171.31	भूखण्ड संख्या सी-1, सरदार पटेल मार्ग, सी-रकींग, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक प.13 (507)नविनि/3/2012 दिनांक 04.03.2015 में उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित प्रकरण में समसंख्यक विभागीय पत्र दिनांक 04.07.2014 एवं 03.09.2014 द्वारा इस बाबत निर्देशित किया जा चुका है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में विभागीय पत्र दिनांक 26.08.2013, 05.09.2013 एवं 03.10.2013 द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् 60 मी. तक के भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने की राज्य सरकार की स्वीकृति दी जा चुकी है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही

			<p>सुनिश्चित कराये। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श परचात बैठक दिनांक 14.02.2014 को निरन्तरता में निम्नांकित अतिरिक्त शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिये जावें। 2. नौतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 5 मीटर छोड़कर बनवाई जावें। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय सुल्क जमा होने के परचात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार को उनके पत्रों के संदर्भ में की गई कार्यवाही के संबंध में सूचित भी कर दिया जावें।</p>
32	171.32	श्री अशोक सम्पतराज के खसरा नम्बर 107, ग्राम उदयपुर गिलारिया, तहसील सांगानेर, जयपुर पर भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के सम्मेलन विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श परचात निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संबंधित जोन उपायुक्त से यह सुनिश्चित कराया जाये कि प्रश्नगत भूखण्ड 160 एवं 60 फीट सेक्टर रोड पर आस-पास अन्य भूखण्डों पर पट्टे जारी किये हैं अथवा नहीं? यदि किये गये हैं तो कितनी फीट सड़क के आधार पर, आस-पास कोई सोसाइटी की योजना तो नहीं। 2. स्ट्रीट फ्लोर व बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अपडस्टेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 3. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं प्राथी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 4. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावें। 5. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 40 मीटर से अधिक है। अतः संशोधित भवन विनियम-20:2 के अनुसार राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावें। 6. प्रस्तावित भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 6848.21 वर्गमीटर है। अतः उक्त भूखण्ड पर प्रस्तावित एफ.ए.आर. (25286.73 वर्गमीटर) का 5 प्रतिशत (1259.98 वर्गमीटर) निर्मित क्षेत्रफल EWS/LIG हेतु दिया जाना आवश्यक है। विकासकर्ता द्वारा कुल 34 EWS प्लेट्स इसी भूखण्ड पर प्रस्तावित किये गये हैं, जिनका कुल निर्मित क्षेत्रफल 1272.28 वर्गमीटर प्रस्तावित है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। परन्तु अनुज्ञा पत्र व जारी किये जाने वाले भवन मानचित्रों में स्पष्ट रूप से अंकित किये जावे कि 3 माह में EWS/LIG प्लेट्स का निर्माण प्रारम्भ करना होगा व 2 वर्ष में पूर्ण करना होगा। 7. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.80+0.5 (EWS/LIG) का प्रोत्साहन एफ.ए.आर) एवं अधिकतम बेटरमेन्ट लेवी सहित 4.25 एफ.ए.आर. अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 3.693 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 2.3 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। 8. प्रस्तावित 160 फीट चौड़ी सेक्टर रोड एवं 60 फीट चौड़ी सेक्टर रोड हेतु मौके पर स्थान उपलब्ध है तथा 30 फीट चौड़ी सड़क मौके पर बनी हुई है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित 160 फीट सेक्टर रोड के अनुसार ही भवन की ऊँचाई प्रस्तावित की गई है, जिसके अनुसार ही प्रकरण में गणना की गई है, जिसे




			<p>समिति द्वारा स्वीकार किया गया।</p> <p>9. प्रकरण में उक्त भूखण्ड की स्थानित एवं लेखा रिपोर्ट जोन से प्राप्त की जायें।</p> <p>10. वर्तमान में मौके पर भूखण्ड पर एक भवन बना हुआ है, जिसे हटाने के संबंध में आवेदक से अपडेटेडिंग ली जायें।</p> <p>11. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जायें।</p> <p>12. नीतिगत निर्णयानुसार अग्र सेटबैंक की ओर आगन्तुकों की पार्किंग हेतु बाउण्ड्रीवाल 6 मीटर छोड़कर बनवाई जायें।</p> <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
33	171.33	खसरा नम्बर 174 व 175, ग्राम जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के संशोधित मानचित्र अनुमोदन एवं अधिवास प्रमाण पत्र बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि अग्निश्मन की सुविधा/सुदृढीकरण की राशि ली जायें।</p>
34	171.34	श्री शंकर खण्डेलवाल निदेशक, गुमान बिल्डर्स एण्ड डवलर्स प्रा. लि. के भूखण्ड संख्या जी.एच. 1, गोकुल नगर योजना, ग्राम गोकुलपुरा एवं झोटवाड़ा, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। भवन विनियम 2010 संशोधित 2011 के विनियम सं. 19.5 के अनुसार जो भूखण्ड नीलामी से बेचे गये हैं उनका एफ.ए.आर. नीलामी के समय दिये गये एफ.ए.आर. (जिसे मानक एफ.ए.आर. माना जावेगा) के अनुसार ही होगा एवं अन्य पैरामीटर्स इन विनियमों के प्रावधान अनुसार देय होंगे। विकासकर्ता वर्तमान विनियमों के अनुसार यदि अधिकतम एफ.ए.आर. का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो टी.डी.आर. का उपयोग अथवा नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जायें शेष निर्णय बैठक दिनांक 13.02.2015 अनुसार यथावत रहेंगे।</p>
35	171.35	श्री नेमीचन्द जैन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ओम मेटल्स प्रा. लि. के भूखण्ड सं. ए-2, स्टेच्यू सर्किल, सी स्कीम जयपुर के संबंध में।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रकरण को वीपीसी की बैठक दिनांक 13.02.2015 में रखा गया था, जिसमें प्रार्थी को सुना गया तथा प्रार्थी को स्पष्ट रूप से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.12.2014 की अनुपालना में स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया था कि प्रश्नगत भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा अधिकतम ऊँचाई 15 मी. तक लिमिट कर दी गई है। पत्र क्रमांक डी-492 दिनांक 03.03.2015 द्वारा प्रार्थी से 15 मी. ऊँचाई तक के संशोधित भवन मानचित्र दिनांक 10.03.2015 तक मांगे गये। साथ ही पत्र में यह भी लिखा गया कि यदि इस तिथि तक वांछित संशोधन भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो इस कार्यालय के पास पूर्व में अनुमोदित भवन मानचित्रों को निरस्त करने तथा निर्माण कार्य को तत्काल रूकवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। प्रार्थी द्वारा इसके उत्तर में दिनांक 11.03.2015 सायं 4:00 बजे पत्र प्रस्तुत किया, जिसके साथ 15 मी. ऊँचाई के वांछित मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी 15 मी. ऊँचाई तक का अनुमोदन नहीं चाहता। अब चूंकि राज्य सरकार के उपरोक्त आदेश दिनांक 03.12.2014 के अनुसार पूर्व में अनुमोदित 30 मी. ऊँचाई तक के भवन मानचित्रों को लाइव नहीं रखा जा सकता। अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पूर्व में अनुमोदित 30 मी. ऊँचाई तक के भवन मानचित्रों को निरस्त किया जायें। 2. इस निर्णय की प्रति मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन को इस निर्देश के साथ भेजी जाये कि वे तत्काल मौके पर काम बन्द करवाना सुनिश्चित करें।
36	171.36	श्री संजीव कुमार माथुर, रजिस्ट्रार, दी इकाई यूनेवर्सिटी के खसरा नम्बर	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-</p>

		505/1, ग्राम जामखोली, तहसील जयपुर, आगरा रोड, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अपडेटेडिंग व शपथ पत्र लिया जावे कि इसे पार्किंग एप्लोयमेंट में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापति पत्र लिया जावे। 4. प्रस्तावित भूखण्ड में से आई.ओ.सी. गैस पाईप लाईन गुजर रही है, जिसमें मध्य से दोनों तरफ 9 मीटर का क्षेत्र No Construction Zone निर्धारित है। अतः इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किये जाने हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपडेटेडिंग प्लान संख्या 50/रो पर संलग्न है। जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 7 5. मौके पर फ्रन्ट सेटबैक में दक्षिण पश्चिम की ओर एक कमरा व ट्रान्सफार्मर बना हुआ है जिसे पूर्व में अनुमोदित मानचित्र दिनांक 23.01.2012 में अस्वीकृत किया गया था। भवन विनियम 2010 मय संशोधन के अनुसार भवन की सुविधाओं जैसे ट्रान्सफार्मर, जनरेटर रूम, पम्प रूम, इलैक्ट्रिक पैनल रूम आदि हेतु भवन के कुल एफ.ए.आर. क्षेत्र का 7 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्र की गणना में शामिल नहीं होगा व यह सब उपयोग सेटबैक में देय होंगे। मौके पर फ्रन्ट सेटबैक में 9'-00" X 9'-00" (18 वर्गफीट) का जनरेटर हेतु रूम बना हुआ है, जो 7 प्रतिशत एफ. ए.आर. की गणना में सम्मिलित है। जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 6. श्रमिक उपकर नियमानुसार लिया जावे। <p>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।</p>
37	171.37	श्री रघुनाथ प्रसाद जैन के खसरा नम्बर 644, निजी खातेदारी, ग्राम बिलवा कलान, तहसील सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित EWS फ्लैट्स के संबंध में।	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत भूखण्ड के भवन मानचित्र दिनांक 08.12.2014 को अनुमोदित कर जारी किये गये थे। इसके एवज में EWS/LIG फ्लैट्स अन्य भूखण्ड अर्थात् भूखण्ड सं. 17, हनुमान वाटिका (ए-7), ग्राम सालिगरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित किये गये थे, जिनके दिनांक 08.12.2014 को मानचित्र अनुमोदन कर जारी कर दिये गये थे। दिनांक 06.01.2015 की रिपोर्ट अनुसार EWS/LIG फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। प्रार्थी को दिनांक 18.02.2015 को नोटिस दिया गया। जिसका प्रार्थी द्वारा जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। दिनांक 11.03.2015 की पुनः मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। प्रकरण में दिनांक 08.06.2015 को 6 माह हो रहे है। अतः विचार-विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) टाउनशिप पॉलिसी के आदेश दिनांक 02.06.2012 के बिन्दु सं. 1.6 की अनुपालना में 25 रुपये वर्गफीट (EWS/LIG क्षेत्रफल) पर शारती ली जावे व पत्र में शारती जमा कराने हेतु 7 दिवस का समय दिया जावे। यदि 7 दिवस में शारती जमा नहीं कराया तो मानचित्र निरस्त कर दिये जावेगे। 2) प्रार्थी को शारती वाले पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे कि यदि दिनांक 06.06.2015 तक EWS/LIG का कार्य

KMS

			प्रारम्भ कर सूचित नहीं किया तो अनुमोदन शुल्क व ESUP Shelter Fund को जमा करने करते हुए मानचित्र निरस्त कर दिये जावेंगे।
38	171.38	नीतिगत निर्णय	टाउनशिप पॉलिसी 2010 के संबंध में विरसगतियों/समस्याओं बाबत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :- 1. यहां टाउनशिप पॉलिसी 2010 की धारा 1.6 में निम्नानुसार लेख है :- यदि छः माह में भी EWS/LIG इकाईयों का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो मुख्य भवन के निर्माण कार्य को रूकवा दिया जावेगा तथा उसे अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी में मानते हुए ध्वस्त भी किया जा सकेगा। समिति द्वारा यह उचित समझा गया कि राज्य सरकार को निम्नानुसार प्रस्ताव अनुमोदन के लिए भेजा जाये कि यदि:- 6 माह बाद भी निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जाता है, तो मूल भवन तथा तथा EWS/LIG इकाईयों की जारी अनुमति को निरस्त करने का स्पष्ट प्रावधान रखा जाकर हुये निर्माण को अवैध मानते हुए ध्वस्त करने की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान किया जावे। 2. टाउनशिप पॉलिसी की धारा 1.5 में निम्नानुसार लेख है :- "विकासकर्ता को मुख्य परियोजना की निर्माण स्वीकृति के साथ-साथ EWS/LIG के लिए प्रस्ताव (अपने/जोइन्ट वेंचर/क्रय करने) देने होंगे तथा स्वीकृति प्राप्त होने के तीन माह की अवधि में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा। इन इकाईयों का निर्माण कार्य के लिए 2 वर्ष की अधिकतम समय सीमा होगी। निर्धारित अवधि में निर्माण पूर्ण कर आवासीय इकाईयों संबंधित निकाय को हस्तान्तरित करनी होगी।" परन्तु भवन अनुमोदन भवन विनियम अनुसार 7 वर्ष हेतु किया जाता है तथा यदि मूल भूखण्ड पर ऊपरी मजिलों पर EWS/LIG फ्लैट्स का निर्माण प्रस्तावित है तो कैसे 2 वर्ष में पूर्ण किया जावेगा? इस संबंध में राज्य सरकार से यह स्पष्ट कराया जाना उचित होगा कि EWS/LIG हाउसिंग के निर्माण हेतु जिन मूल भूखण्डों में EWS/LIG प्रस्तावित है उन्हें भी 7 वर्षों के तथान पर 2 वर्ष के लिए अनुमोदन जारी किया जावे।

अध्यक्ष महोदय को घन्घवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बीपी),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/स.स./बीपीसी(बीपी)/2015/डी-569

दिनांक:- 12/3/2015

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (अभियान्त्रिकी-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर।
5. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)/प्रशासन/(एलपीसी)/(मूनि) एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
6. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
7. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
8. सिरस्टम एनालिसट, जविप्रा, जयपुर।
9. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।


वरिष्ठ नगर नियोजक
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)


परिशिष्ट- "अ"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 170वीं बैठक दिनांक 13.02.2015 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त गहोदय की अध्यक्षता में दिन्तः कक्षा में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी:-

- | | |
|---|-------------|
| 1. श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष, |
| 2. श्री एवन सरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य, |
| 3. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य, |
| 4. श्रीमती रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य, |
| 5. मुकेश मिश्र, वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य सचिव, |

विशेष आमंत्रित :-

6. श्री सुनील कुमार शर्मा, निदेशक (विधि), जविप्रा, जयपुर।
7. श्री ए.के. कुमावत, उपनिदेशक (विधि), जविप्रा, जयपुर।
8. श्री ओ.पी. जांगिड़, उपायुक्त जोन-06, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन-09, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री तेजाराम चौधरी, उपायुक्त जोन-14, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर।
12. श्री अर्पित संवेती, सहायक नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर।
13. श्री नारायण सिंह, सहायक नगर नियोजक, जोन-05, जविप्रा, जयपुर।
14. श्री जयमगवान, सहायक नगर नियोजक, जोन-09, जविप्रा, जयपुर।
15. संगीता पटियाला, सहायक नगर नियोजक, जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
16. श्री योगेश सटोलिया, सहायक नगर नियोजक, जोन-12, जविप्रा, जयपुर।


वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)